दैनिक भास्कर

पटना, शनिवार, 25 अगस्त, 2018 | 3

कैबिनेट ने रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली 2018 के गठन को दी मंजूरी

सरकार ने कसा शिकंजा, रेरा से रजिस्टर्ड नहीं होने वाले बिल्डरों के फ्लैट की नहीं हो सकेगी रजिस्ट्री

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

राज्य के बिल्डरों पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है। अब जो बिल्डर रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट (रेरा) से निबंधित नहीं होंगे, उनके बनाए फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। शुक्रवार को कैबिनेट ने बिहार रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली 2018 के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बिल्डरों के रवैये के खिलाफ रेरा को काफी शिकायतें मिली हैं। इसी आधार पर रेरा ने सरकार को नया कानून बनाने का सुझाव दिया था। नए कानून से फ्लैट व जमीन के खरीदारों की सुरक्षा और पारदर्शी व्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। अब यह प्रावधान किया गया है कि जो भी बिल्डर रेरा से निबंधित नहीं होंगे उनके फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं होगी। निबंधन विभाग द्वारा बिहार रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली 2018 के गठन के आदेश के साथ ही नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। -अन्य खबरें पेज 6 पर

हर पैक्स में खुलेंगे कृषि संयंत्र बैंक, किराए पर मशीन ले सकेंगे किसान

राज्य के किसान अब किराए पर मशीन लेकर खेती कर सकेंगे। हर पैक्स में कृषि संयंत्र बैंक खोले जाएंगे। सरकार ने मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना तैयार की है। कैबिनेट ने इसे शुक्रवार को मंजूरी दे दी। सभी पंचायतों में कृषि कार्यालय खोलने का भी फैसला लिया गया है। इसके लिए 42 करोड़ दिए गए हैं। योजना के तहत हर पैक्स को कृषि संयंत्र बैंक के लिए 20 लाख दिए जाएंगे। किसानों को किराए पर संयंत्र देने से पैक्सों को अतिरिक्त आय होगी। वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के बीच पूरी योजना पर 1692 करोड़ खर्च होंगे। इस योजना में एनसीडीएस से 846 करोड़ रुपए मिलेंगे।